


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

10.11.22

पत्रावली पेश। अधिवक्ता पसतारानु उप.
उक्त पत्र की बहम खुली गई। पत्रावली
सारहीन होने से खारीज की जाती है।
पत्रावली फैसल्य सुनार होकर दर्ज
नामवार से कम की जाकर दाखिल
दफ्तार हो।


रहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदा